कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2754 /मैनपुरी-NH–91/24596/2017, दिनांक, लखनऊ, मार्च 26 , 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : मैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 (कल्यानपुर से नवीगंज सेक्शन) किमी0 229.000 से 289.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 97.896 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11377 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/13/2018/एफसी/184, दि0 28.03.2018,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–32/14–2–2018–800(11)/2018, दि0 05.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को वापस उपलब्ध कराने हेतु शासन के सन्दर्भित पत्र दि0 05.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की प्रतियॉ इस कार्यालय को वापस उपलब्ध करायी गयी थीं। सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, आगरा के पत्रांक–4460/14–1, दिनांक 26.03.2018 द्वारा बिन्दुवार सूचनाओं का निराकरण कर प्रस्ताव की प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हैं। अतः उक्त पत्र व संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में भारत सरकार के कार्यालय में दि0 27.03.2018 को प्रस्तावित क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में विचार किया जाना है। अतः उक्त की महत्ता के दृष्टिगत प्रस्ताव शीघ्रतिशीघ्र भारत सरकार प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नकः प्रस्ताव की दो प्रतियॉ।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मैनपुरी।
3– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, अलीगढ़।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।